

उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय
इलाहाबाद

पत्रांक: 797-ई/पालिसी/2018

दिनांक: .07.2018

NCRPS No. 5239/2018

समस्त विभागाध्यक्ष/उमरे/इला., वरि.उप महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक/सा. मु.प्रशा.अधि/नि
मंडल रेल प्रबन्धक/कार्मिक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, आगरा एवं झाँसी।

मुख्य कारखाना प्रबन्धक, उत्तर मध्य रेलवे, वैगन रिपेयर शाप, झाँसी।

मुख्य कारखाना प्रबन्धक, उत्तर मध्य रेलवे, रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली (ग्वालियर)।

चेयरमैन/आरआरसी/उत्तर मध्य रेलवे/इलाहाबाद।

उप मुख्य सामाग्री प्रबन्धक/झाँसी, उप मु.अभि/सीपीओएच/इला., उप मु.अभि./सीएसपी/इला.

प्रिन्सिपल - सुपरवाइजरस ट्रेनिंग सेन्टर, झाँसी, सिविल ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, इण्डिया रेलवे ट्रैक मशीन

ट्रेनिंग सेन्टर, इला., एरिया ट्रेनिंग सेन्टर, झाँसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, लोको, झाँसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर,

सी एण्ड डब्लू/झाँसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, वैगन वर्कशाप, झाँसी, सी एण्ड डब्लू ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर,

परमानेंट वे ट्रेनिंग सेन्टर, झाँसी, ट्रान्सपोर्टेशन ट्रेनिंग सेन्टर, सूबेदारगज, इला., इलेक्ट्रिक, ट्रेनिंग

सेन्टर/टीआरडी/झाँसी, इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, मु.प्रा.अधि/ आईआरपीएमयू/नई दिल्ली

उप मुख्य इंजी/ब्रिज/लाईन/इला./झाँसी एवं आगरा, एक्स ई एन/ब्रिज/लाईन/झाँसी।

व.स.वि.स/कैश एवं पे/उमरे/इलाहाबाद।

Subject: Allotment of railway quarter on reversion to lower Grade.

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2018/LMB-11/2/26 दिनांक 24.04.2018 की प्रतिलिपि आपके सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


संलग्नक: यथोक्त।

(V.P.Singh)

For General Manager/P

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कार्यालय अधीक्षक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
2. मुख्य विधि सहायक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
3. मुख्य स्टाफ एण्ड वेलफेयर इन्सपेक्टर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
4. सीपीआई- एससी-एसटी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एन सी आर ई एस
6. महामंत्री, एन सी आर एम यू
7. महामंत्री, एन सी आर पी ओ ए



55

KBI-2018-143
1-3-18

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

No. 2018/LMB-II/226

New Delhi, dated: 24/04/2018

The General Managers NCR
All Zonal Railways/Production Units

Sub - Allotment of railway quarter on reversion to lower Grade

Ref: Board's letter No. 2008/LMB/10/16 dated 27.01.2011

A clarification has been sought from Board's office regarding guidelines to deal with cases where an officer allotted a Railways' accommodation as per his entitlement is reverted to a lower grade having different entitlement for accommodation.

The matter has been examined in Board's office. It is advised that if an officer is reverted to lower grade, his entitlement is to be revised as per his grade pay as mentioned in Board's letter under reference dated 27.01.2011. However, the officer may be allowed to retain the existing quarter till such time the quarter is made available as per reverted grade pay of the officer.


(Chandar Shekhar)
Joint Director/and & Amenities
Railway Board.

Copy to: DGM(G) Western Railway in reference to WR's letter No. FR(O) 572/52 dated 16.01.2018

25 APR 2018
16.01.2018

22/4/18

यु मुकाबिले	✓	25/4/18
मुकाबिले (ग्राम)	✓	
मुकाबिले (आईआर)		
यु मुकाबिले (राज)		
यु मुकाबिले (मुख्या)	✓	
यु मुकाबिले (आई०)		
अवकाश/रोटेशन		
यु का आबिले (राज)		
यु का आबिले (ओ०)		
यु का आबिले (मुख्या)	✓	
सकाबिले (आई०आर)		
सकाबिले (मती०)		
यु काबिले अर्थोकाबिले आबिले		

15/03/18
2000

55